भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1513

मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

विनिर्माण क्षेत्र तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

1513. थिरु दयानिधि मारन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लगातार बढ़ती महंगाई, धीमी आर्थिक वृद्धि, रोजगार संबंधी चुनौतियों और वैश्विक भू-राजनीतिक व्यवधानों का विनिर्माण क्षेत्र तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाल के केंद्रीय बजटों में घोषित योजनाओं सहित अपने हालिया राजकोषीय कराधान और रोजगार संबंधी उपायों की प्रभावशीलता की कोई समीक्षा की है, यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे हैं;

(ग) बढ़ती हुई इनपुट लागत, वैश्विक ऊर्जा कीमतों में अस्थिरता और महंगाई के संयुक्त प्रभाव से लघु व्यवसायों, निर्यातकों और स्टार्टअप को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने पूंजी के बहिप्रवाह, निजी निवेश में कमी और बाह्य व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं का आर्थिक वृद्धि और रोजगार पर, विशेषकर तमिलनाडु जैसे निर्यातोन्मुख राज्यों में, पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा वर्तमान आर्थिक चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में निवेशकों का विश्वास पुनर्स्थापित करने, गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करने और घरेलू मांग को मजबूती देने के लिए कौन-से सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यापक आर्थिक बुनियादी आधार मजबूत रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए उच्च-आवृत्ति संकेतक आर्थिक कार्यकलाप और घरेलू मांग में निरंतर गति को इंगित करते हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के निरंतर लचीलेपन को दर्शाते हैं। विनिर्माण सकल मूल्य संवर्धन

(जीवीए) स्थिर कीमतों में वर्ष 2024-25 की 9.3% की तुलना में वर्ष 2025-26 में 10.7% तक की वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों में, स्थिर कीमतों पर विनिर्माण जीवीए में वृद्धि भी सेवा जीवीए से अधिक रही है, जो औद्योगिक कार्यकलापों के निरंतर सुदृढ़ीकरण को दर्शाती है। इसके अलावा, औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में सुधार हुआ है जो मार्च, 2026 के 3.0 प्रतिशत से सुधरकर मई, 2026 में 5.1 प्रतिशत हो गई है, जबकि प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में वृद्धि हुई है, जो मार्च, 2026 के 2.9 प्रतिशत से बढ़कर जून, 2026 में 5.0 प्रतिशत हो गई है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद औद्योगिक कार्यकलापों में निरंतर गति को दर्शाता है।

एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है। वर्ष 2023-24 में, इसने भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 31.1% का योगदान दिया और देश का विनिर्माण उत्पादन 35% रहा। एमएसएमई को प्रदान किया गया बैंक ऋण मई, 2026 के 17.5% की मजबूत दर से बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह 5.4% था। तथापि, विनिर्माण क्षेत्र और एमएसएमई पर वैश्विक भू-राजनीतिक व्यवधानों के प्रभाव का आकलन करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने खरीद चुनौतियों, ऋण की कमी, कच्चे माल की लागत और लॉजिस्टिक्स बाधाओं जैसी मुख्य आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं की पहचान करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए सीधे विभिन्न हितधारकों एमएसएमई, एमएसएमई उद्योग संघों के साथ कई विचार-विमर्श किए गए हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के सहयोग से कच्चे माल के वैकल्पिक खरीद स्रोतों की पहचान करने के भी प्रयास किए गए।

(ख): सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित आयकर अधिनियम, 2025 के माध्यम से अनुपालन को सरल बनाने, पूर्वानुमान में सुधार करने और व्यापार को सुविधाजनक बनाने, व्यापक ऑटोमेशन, सुव्यवस्थित अपील तंत्र और जोखिम-आधारित सीमा शुल्क प्रशासन के माध्यम से महत्वपूर्ण कर और सीमा शुल्क सुधारों की घोषणा की है। इसने मेगा टेक्सटाइल पार्कों की घोषणा करके, निर्यात दायित्व अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 12 माह करके, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) के माध्यम से एमएसएमई के लिए तरलता सहायता को सुदृढ़ करते हुए वस्त्र क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया है।

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को सहायता प्रदान किया जा रहा है, जिससे 31 मार्च, 2026 तक की स्थिति के अनुसार, 892 आवेदनों को अनुमोदन प्रदान किया है, निवेश में 2.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त की है, 22.66 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन सृजित हुआ है, 15.2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया है और 14.15 लाख से अधिक नौकरियां

सृजित हुई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने विश्व स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना का निर्माण करने के लिए 28,602 करोड़ रुपए लागत की 12 नई परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करते हुए राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) का विस्तार किया है। 30 जून, 2026 तक की स्थिति के अनुसार, एनआईसीडीपी के तहत, 5,347 एकड़ के कुल 469 भूखंड आवंटित किए गए हैं। इनमें से 376 भूखंड (5,047 एकड़) औद्योगिक भूखंड हैं, जिनमें लगभग 2.20 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध निवेश क्षमता और 1.29 लाख व्यक्तियों की अनुमानित रोजगार क्षमता है, जैसा कि आवंटन के समय निवेशकों द्वारा घोषित किया गया था।

(ग): बढ़ती इनपुट लागत, वैश्विक ऊर्जा मूल्य अस्थिरता और मुद्रास्फीति के सम्मिलित प्रभाव से छोटे व्यवसायों, निर्यातकों और स्टार्ट-अप्स को बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) सरकार ने आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) 5.0 को अनुमोदन प्रदान किया है। इस स्कीम के तहत, राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) इन दबावों से उत्पन्न होने वाले अल्पकालिक तरलता असंतुलन को दूर करने के लिए पात्र ऋण प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किए गए अतिरिक्त ऋण के लिए सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को गारंटी कवरेज प्रदान करेगी। अतिरिक्त सुविधा के तहत, चूक (डिफॉल्ट) की राशि के लिए एमएसएमई हेतु गारंटी कवरेज 100 प्रतिशत और गैर-एमएसएमई तथा एयरलाइन क्षेत्र के लिए 90 प्रतिशत होगा।

(ii) वाणिज्य विभाग ने 2 मार्च, 2026 को हितधारक परामर्श किया तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सहित संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों की भागीदारी से एक केंद्रीय समन्वय तंत्र के रूप में आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन के संबंध में एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) बनाया गया है। यह आईएमजी उभरते मुद्दों का समाधान करने के लिए हितधारकों के साथ निरंतर समन्वय बनाकर नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा करता है।

(iii) उपभोक्ताओं को बढ़ती वैश्विक ऊर्जा कीमतों से बचाने के लिए, सरकार ने मार्च, 2026 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की। सरकार ने एलपीजी आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई सक्रिय उपाय भी किए हैं। इनमें घरेलू एलपीजी खपत को प्राथमिकता देना, आयात स्रोतों में विविधता, गतिशील स्टॉक प्रबंधन और स्थानीय कमी को दूर करने के लिए अंतर-क्षेत्रीय आवंटन शामिल हैं।

(iv) सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विभिन्न उपाय शुरू कर रही है। दिनांक 30 जून, 2026 तक की स्थिति के अनुसार, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, स्टार्टअप्स के रूप में कुल 2,40,092 कंपनियों को मान्यता प्रदान की गई है। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) जैसी प्रमुख स्कीमें सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को उनके व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। सरकार, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, नवप्रयोग सप्ताह और तेजस (ट्रांस्फार्मिंग एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एक्रास स्टेट्स एण्ड डिस्ट्रिक्ट्स) के साथ-साथ आवधिक कार्य और कार्यक्रम भी कार्यान्वित करती है, जो गैर-महानगर और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम सहित स्टार्टअप इकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार, बाजार पहुंच में सुधार और अपने व्यवसायों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक खरीद को सक्षम बनाने हेतु इकोसिस्टम आधारित पहलों को प्रोत्साहन और सहायता भी प्रदान करती है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए विनियामक वातावरण को सरल बनाने और अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए व्यवसाय शुरू करने, पूंजी जुटाने तथा अनुपालन बोझ को कम करने सहित विभिन्न उपाय भी किए हैं। मेंटरशिप, अवसंरचना तक पहुंच, संसाधनों और ज्ञान को साझा करने, बाजार लिंकेज में सहायता और निवेशकों से जुड़कर स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए कॉरपोरेट्स को प्रोत्साहित करने के कार्यकलाप भी शुरू किए गए हैं।

(v) अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने और भारतीय स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक बाजार पहुंच को सक्षम करने के लिए, सरकार ने **भारत इनोवेट्स 2026** और **वीवाटेक 2026** जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नवप्रयोग प्लेटफार्मों में स्टार्टअप्स की भागीदारी को सुगम बनाया है। भारत-फ्रांस नवप्रयोग वर्ष के भाग के रूप में नीस, फ्रांस में आयोजित भारत इनोवेट्स 2026 ने भारतीय स्टार्टअप्स को नवप्रयोग को प्रदर्शित करने, 1,350 से अधिक बी2बी बैठकों में भाग लेने और वैश्विक भागीदारों के साथ 50 से अधिक सहयोग गठबंधन करने में सक्षम बनाया है, जिससे स्टार्टअप एक्सीलरेशन, अनुसंधान साझेदारी, प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण और बाजार पहुंच के अवसर पैदा हुए हैं। इसी तरह, वीवाटेक 2026 में, जहां भारत ने 80 से अधिक डीप-टेक स्टार्टअप के अपने अब तक के सबसे बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ एआई कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लिया, भारतीय स्टार्टअप ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नवप्रयोगों का प्रदर्शन किया और वैश्विक निवेशकों, प्रौद्योगिकी अग्रणियों और व्यवसायों के साथ

जुड़े, सीमा पार सहयोग को मजबूत किया तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार के अवसरों का विस्तार किया।

(घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा कीमतों पर मापा गया, निजी निगमों का सकल फिक्सड पूंजीगत निर्माण (जीएफसीएफ), वर्ष 2022-23 में 28.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 32.4 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो निजी पूंजी निर्माण की क्रमिक मजबूती को दर्शाता है।

यह सुधार, क्षमता उपयोग की रूझानों में भी दिखाई देता है। आरबीआई की ऑर्डर बुक, इन्वेंटरी और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) के 72वें राउंड के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग, वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में बढ़कर 75.6% हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 74.7% था और 72.1% के दीर्घकालिक औसत से ऊपर रहा।

देश के बाह्य क्षेत्र को पर्याप्त रिजर्व बफर द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। आरबीआई के अनुसार, 10 जुलाई, 2026 तक की स्थिति के अनुसार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 675.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो रिजर्व पर्याप्तता के मानक मेट्रिक्स के लिए पर्याप्त है, जिसमें वस्तु को 10.3 माह का आयात कवर प्रदान करना और मार्च, 2026 के अंत तक देश के बाहर बकाया ऋण के 88.5% को कवर करना शामिल है।

आरबीआई के भुगतान संतुलन के आंकड़ों के अनुसार, भारत के चालू खाते में अप्रैल से मई 2026 के दौरान 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अधिशेष (सरप्लस) दर्ज किया गया, जबकि अप्रैल से मई 2025 के दौरान यह घाटा 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

(ङ): सरकार ने निवेश के माहौल को सुदृढ़ करने और घरेलू मांग को सहायता प्रदान करने के लिए कई नीतिगत उपाय शुरू किए हैं। निवेशकों का विश्वास बढ़ाने, कारोबारी माहौल में सुधार करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने व्यापक कर निश्चितता, अनुपालन बोझ को कम करने, विवाद समाधान को सरल बनाने और गौण प्रक्रियागत अपराधों के गैर-अपराधीकरण के जरिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना जारी रखा है। इसने डिजिटल व्यापार सुविधा का भी विस्तार किया है, विश्वास-आधारित सीमा शुल्क व्यवस्था को मजबूत किया है और लेन-देन लागत को कम करने के लिए सुधार किए हैं। इसके अलावा, निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार ने वैश्विक बाजारों के साथ भारत के जुड़ाव को सुदृढ़ करने के लिए व्यापार और निवेश साझेदारी संबंधों को प्रगाढ़ करना जारी रखा है। घरेलू मांग को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत आयकर राहत की शुरुआत की और जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाया।

सरकार निवेशक-अनुकूल नीति के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देती है, जो अधिकांश क्षेत्रों में स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई को अनुमति प्रदान करती है, जो एफडीआई अंतर्वाह का 90% से अधिक हिस्सा है। राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) अनुमोदनों और अनुमतियों के लिए एक सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रावधान करता है। भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य स्थल के रूप में बनाए रखने के लिए, सरकार हितधारक परामर्श के जरिए एफडीआई नीति की नियमित रूप से समीक्षा करती है और उसे उदार बनाती है। इन सुधारों ने रक्षा, बीमा, दूरसंचार, अंतरिक्ष, फार्मास्यूटिकल्स, खुदरा, नागर विमानन, डिजिटल मीडिया, ई-कॉमर्स, कोयला खनन और वित्तीय सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों में एफडीआई मानदंडों को सरल बनाया है।
